



2026:AHC:5263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17751 वर्ष 2025

सुभाष चन्द्र शर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अदितेंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल तथा लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित होने वाले श्री अभिजीत सक्सेना के तर्कों को सुना।
- आयोग की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल और श्री अभिजीत सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए स्वतः पर्याप्त हैं। वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनका चयन और नियुक्ति वर्ष 1997 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और वरिष्ठता क्रम में उनका क्रमांक 1908 है। याचिकाकर्ता सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का दावा करता है, हालांकि, एक सिफारिश प्राप्त होने के कारण, उनके मामले पर विचार किया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले के मद्देनजर इसे सीलबंद लिफाफे में रखा गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने पहले रिट-ए संख्या 10663/2025 दायर करते हुए इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसका निपटारा 30.07.2025 को हुआ था, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इसे 15.10.2025 को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब सीलबंद कवर खोला जाना चाहिए, विशेष रूप से तब, जब याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, निलंबन रद्द कर दिया गया है और यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता उक्त आरोपों का दोषी नहीं था, जो दिनांक 22.09.2023 के आदेश के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का विषय था। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनौती दिए गए आदेश में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीलबंद लिफाफा खोलने के दावे पर विचार किया गया था, लेकिन इसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया गया, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही आयोजित करने और विवेचना कार्यवाही में दोषमुक्त होने के तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

7. तथ्य विवादित नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा जूनियर इंजीनियर से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति की मांग करना विवादित नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले और विभागीय कार्यवाही के कारण, सीलबंद लिफाफा खोलने का याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद विवेचना की गई और याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया गया तथा उसकी सेवा में बहाली कर दी गई और निलंबन रद्द कर दिया गया। मामले के इस पहलू पर आक्षेपित आदेश में विचार नहीं किया गया है, जो मामले की जड़ तक जाता है।

8. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:



(क). प्रतिवादी संख्या 2, संयुक्त सचिव, ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, प्रथम अनुभाग, स्थापना, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.10.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को वापस भेज दिया जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित किया जा सके।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

10. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में रखे जाते हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए जाते हैं।

8 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)